झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001
प्रेस विज्ञप्ति

दन्त चिकित्सक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0–02/2016 के संबंध में आवश्यक सूचना।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत **दन्त चिकित्सक (मूल कोटि)** के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–02/2016) राँची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–**20.12.2017 को** निर्धारित है।

2. दिव्यांग कोटि के इच्छुक अभ्यर्थी (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) श्रुतलेखक (Scribe) हेतु (जिन्हें यह सुविधा देय है) वे दिनांक–**18.12.2017** को संबंधित केन्द्रों पर केन्द्राधीक्षक को अपने प्रवेश पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा–निर्देशित व्यवस्था की जानी है। श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता से कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) की व्यवस्था स्वयं करेंगे तथा केन्द्राधीक्षक द्वारा इस संबंध में कोई व्यय का वहन नहीं किया जाएगा।

3. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किए गये प्रवेश–पत्र, संबंधित पाली का उपस्थिति–पत्रक अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ अन्यथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा।

4. अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार अपने साथ 02 Stamp Size फोटाग्राफ एवं वैध पहचान–पत्र परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ।

5. अभ्यर्थीगण ओ0एम0आर0(OMR) आधारित उत्तर–पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने के पूर्व प्रवेश–पत्र, उपस्थिति–पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढकर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर–पुस्तिका में वर्णित निदेशानुसार अनिवार्य जानकारी नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic उपकरण (Gadget) रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित मे सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन सहित प्रतिबंधित वस्तुएँ यथाः बैग, पाठ्य पुस्तिकाएँ, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ में नहीं लाए। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

7. सभी परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ मात्र **नीले अथवा काले बॉल प्वांइट पेन** ही लाएँ।

8. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे।

9. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।